न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर कैम्प रीवा (म.प्र.) 12

R-3753-III/14

मुनिया उर्फ मुन्नी कुशवाहा पुत्री श्री रामसुन्दर कुशवाहा, निवासी ग्राम-गुढ़वा, तहसील-गुढ़ जिला-रीवा (म.प्र.)

निगरानी कर्ता/आवेदिका

वनाम

रामसुन्दर तनय स्व0 जमुना प्रसाद कुशवाहा, निवासी ग्राम-गुढ़वा, तहसील-गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.)

गैर निगरानी कर्ता/ अनावेदक

श्री मुद्रिका विश्वकर्मा एड. द्वारा पेश 10.10.14

708
10.10.14

3461
आज दिनांक 9-10-14 को प्राप्त

मान्यवर राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

निगरानी/पुनरीक्षण विरूद्ध धारा 5 व 14 म्याद अधिनियम 1363ई. अन्तर्गत आवेदन में पारित आदेश दिनॉक 11.08.2014 एवं 26.09.2014 प्र. क. 01/ए 6 /2009-10 द्वारा पारित अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ जिला रीवा (म.प्र.)

अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू. रा. संहिता 1959 ई.

निगरानी आवेदन पत्र के आधार निम्नलिखित है –:

1. यह कि अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील गुढ़ द्वारा धारा 5 म्याद अधिनियम अन्तगर्त आवेदन में पारित प्रश्नाधीन आदेश दिनॉक 11.08.2014 व 26.09.2014 विधि प्रकिया के विपरीत एवं विवेचना हीन होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।
2. यह कि निगरानी कर्ता एवं गैर निगरानी कर्ता रिश्ते में सगे पिता व पुत्री है निगरानी कर्ता की वचपना अवस्था में ही उसकी माता की मृत्यु हो गई थी अतः निगरानी कर्ता अपने पिता गैर निगरानी

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी–3753–तीन/2014 **जिला–रीवा**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
3–9–2015	आवेदक की ओर से श्री मुद्रिका विश्वकर्मा अभिभाषक उपस्थित । आवेदक अभिभाषक को सुना गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि आवेदिका एवं आवेदक आपस में पिता–पुत्री है जिनके बीच यह विवाद उत्पन्न भूमि के नामांतरण के संबंध में उत्पन्न हुआ है । आवेदिका अपने पिता की इकलोती संतान थी । एक मात्र पुत्री के अलावा अनावेदक के कोई संतान नहीं थी । आवेदिका को शादी के बाद अनावेदक द्वारा अपने पास रखा और अपनी जमीन का आधा भाग पुत्री के नाम आदेश दिनांक–27.9.2006 से करा दिया गया । जिसकी आवेदिका वर्तमान में भूमि स्वामी होकर आधिपत्यधारी है । 2009 में अनावेदक ने दूसरा विवाह करके खसरा सुधार हेतु तहसीलदारके समक्ष आवेदन किया जिसके खारिज होने पर अनावेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की गयी जहां पर धारा 5 अवधिविधान के आवेदन को स्वीकार कर आदेश दिनांक–11.8.14 से प्रकरण में अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया इसके साथ ही आदेश दिनांक–29.9.14 से धारा 32 का आवेदन अस्वीकार किया जाकर प्रकरण पूर्ववत अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया है । अनुविभागीय अधिकारी का उक्त आदेश उचित न होने की बात कहते हुए निगरानी स्वीकार करने एवं सुनवाई हेतु ग्राहय करने का निवेदन किया गया। प्रकरण में आवेदक अभिभाषक के तर्को पर विचार किया गया एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं पर विचार किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी उक्त दोनों आदेशों की प्रमाणित प्रतियों का अवलोकन किया गया । अवलोकन से यह स्थिति स्पष्ट हो रही है कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण अभी अंतिम तर्क हेतु नियत है जिसमें उभय पक्ष को अपना–अपना पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर उपलब्ध है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेशों से किसी पक्ष के हित अनुचित रूप से प्रभावित हुए हो ऐसा वर्तमान स्थिति में नहीं कहा जा सकता । उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में अनुविभागीय	c

अधिकारी के आदेशों में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में अंतिम तर्क हेतु नियत है जहां उभयपक्ष अपना–अपना पक्ष रखे । अनुविभागीय अधिकारी उभय पक्ष को सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए प्रकरण में गुणदोष के आधार पर विधि सम्मत निर्णय पारित करें । उक्त निर्देशों के साथ यह निगरानी प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है ।

सदस्य